प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 16-09-2026

विषयः- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत डीपटेक स्टार्टअप्स हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-763/78-1-2026-45/2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 अधिसूचित की गयी है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पाँच (05) वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के प्रस्तर-10 के अंतर्गत अभिनव विचारों एवं अवधारणाओं पर आधारित तथा प्रदेश में निगमित स्टार्टअप्स इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। स्टार्टअप की पात्रता का निर्धारण नीति के प्रस्तर-10.1 में वर्णित प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा। उक्त प्रावधानों के अनुसार जिस संस्था को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त होगा, वही इस नीति के अंतर्गत स्टार्टअप माना जाएगा।

2- **सामान्य नियम एवं शर्तें (Common Terms and Conditions)**

डीपटेक स्टार्टअप्स हेतु बढ़ी हुई वित्तीय सहायता (प्रोटोटाइप एवं सीड अनुदान), रॉयल्टी आधारित अनुसंधान एवं विकास (R&D) समतुल्य अनुदान (Royalty-Based R&D Matching Grant) तथा कम्प्यूट पावर प्रोत्साहन (Compute Power Incentive) से संबंधित आवेदनों के मूल्यांकन, अनुशंसा एवं निगरानी हेतु सात (07) सदस्यीय डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) का गठन किया जाएगा। समिति में शैक्षणिक संस्थानों से दो (02) विषय विशेषज्ञ (Subject Matter Experts), वित्त विभाग के विशेष सचिव स्तर के एक (01) प्रतिनिधि, एक (01) वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)/वेंचर कैपिटल (VC) प्रतिनिधि, दो (02) उद्योग प्रतिनिधि तथा किसी उद्योग/स्टार्टअप एसोसिएशन (Association) से एक (01) प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- **डीपटेक स्टार्टअप्स हेतु बढ़ी हुई वित्तीय सहायता (प्रोटोटाइप एवं सीड अनुदान)**

डीपटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोटोटाइप विकास अनुदान तथा सीड कैपिटल सहायता के अंतर्गत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत पात्र डीपटेक स्टार्टअप्स, नीति के अंतर्गत अधिकतम रू0 20.00 लाख तक का प्रोटोटाइप विकास अनुदान तथा अधिकतम रू0 30.00 लाख तक की सीड कैपिटल सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

- इस सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप का उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (UPSM) पोर्टल पर पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा तथा उसे DPIIT के अंतर्गत डीपटेक स्टार्टअप (Deep-Tech Startup) के रूप में पात्र होना चाहिए।
- स्टार्टअप द्वारा महत्वपूर्ण नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी विकास, वाणिज्यिक क्षमता (Commercial Potential) एवं विस्तारयोग्यता (Scalability) प्रदर्शित की जानी चाहिए। इस प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास रोडमैप, वित्तीय आवश्यकता तथा अपेक्षित परिणामों का विस्तृत विवरण युक्त परियोजना प्रस्ताव (Project Proposal) प्रस्तुत करना होगा।
- पात्र डीपटेक स्टार्टअप निर्धारित प्रारूप में Startup Portal के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में परियोजना का विस्तृत विवरण, प्रौद्योगिकी की प्रकृति, अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों का विवरण, विकास रोडमैप, वित्तीय आवश्यकता, प्रस्तावित माइलस्टोन तथा अपेक्षित परिणामों का उल्लेख अनिवार्य होगा।
- प्राप्त आवेदन को संबंधित मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर द्वारा CEO, Uttar Pradesh Startup Mission/नोडल एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन को प्रारम्भिक तकनीकी परीक्षण एवं समीक्षा हेतु किसी मान्यता प्राप्त Centre of Excellence (CoE), Deep-Tech Hub, Innovation Hub अथवा Startup Review Committee of Experts (SRCE) को भेजा जाएगा।
- Centre of Excellence (CoE), Deep-Tech Hub, Innovation Hub अथवा SRCE द्वारा अनुशंसित डीपटेक स्टार्टअप प्रस्तावों को विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन एवं विचारार्थ डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- डीपटेक समिति द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी नवीनता, अनुसंधान एवं विकास (R&D) घटक, बौद्धिक संपदा (IP) क्षमता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विस्तारयोग्यता (Scalability), राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की आवश्यकता का परीक्षण किया जाएगा।
- डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) द्वारा "असंस्तुत (Not Recommended)" श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे। ऐसे आवेदन उसी प्रस्ताव अथवा विचार के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनः प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। तथापि, 3 माह की शीतावधि (Cooling-off Period) पूर्ण होने के उपरांत स्टार्टअप किसी नवीन प्रस्ताव के आधार पर पुनः आवेदन कर सकेगा।

- डीपटेक समिति द्वारा "संशोधन हेतु प्रत्यावर्तित (Sent Back for Modifications)" आवेदन आवश्यक संशोधनों एवं अतिरिक्त अभिलेखों सहित 3 माह के भीतर पुनः प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनका पुनर्मूल्यांकन डीपटेक समिति द्वारा किया जाएगा।
- यदि किसी आवेदन को डीपटेक समिति द्वारा दूसरी बार भी अनुशंसित नहीं किया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वतः अस्वीकृत माना जाएगा तथा उसे नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- डीपटेक समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत अनुदान राशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- प्रोटोटाइप विकास अनुदान (Prototype Development Grant) तथा सीड कैपिटल सहायता (Seed Capital Assistance) का संवितरण निर्धारित माइलस्टोन आधारित (Milestone-Based) व्यवस्था के अंतर्गत किश्तों में किया जाएगा। प्रोटोटाइप विकास अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 70% प्रथम किश्त तथा शेष 30% द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किया जाएगा। सीड कैपिटल सहायता के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 50% प्रथम किश्त तथा शेष 50% द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किया जाएगा। प्रथम किश्त आवेदन के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत की जाएगी, जबकि द्वितीय किश्त निर्धारित माइलस्टोन की सफल प्राप्ति, प्रगति आख्या (Progress Report), भुगतान के चालान (Invoices), संबंधित बैंक स्टेटमेंट (Bank Statements), CA द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) तथा संबंधित समिति/प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक मूल्यांकन के उपरान्त निर्गत की जाएगी।
- मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नोडल संस्था, SRCE, डीपटेक समिति अथवा PIU द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अभिलेख, सूचना, स्पष्टीकरण अथवा सहायक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जिन्हें स्टार्टअप द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना होगा।

4- पेशेंस कैपिटल (Patience Capital)

दीर्घ विकास अवधि वाले उच्च-प्रभाव (High-Impact) डीपटेक नवाचारों के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार पात्र डीपटेक इनोवेशन स्टार्टअप्स को सतत अनुसंधान, उत्पाद सत्यापन, प्रौद्योगिकी परिष्करण एवं व्यवसायीकरण को सक्षम बनाने हेतु **"पेशेंस कैपिटल"** प्रदान करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- इस सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप का Startup Portal पर पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा उसे DPIIT के अंतर्गत Deep-Tech Startup के रूप में पात्र होना चाहिए। पात्र डीपटेक स्टार्टअप निर्धारित प्रारूप में Startup Portal के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में परियोजना का विस्तृत विवरण, प्रौद्योगिकी की प्रकृति, अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों का ब्यौरा, विकास रोडमैप, वित्तीय आवश्यकता, प्रस्तावित माइलस्टोन तथा अपेक्षित परिणामों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- केवल मान्यता प्राप्त नवरत्न इन्क्यूबेटर अथवा डीपटेक हब में इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। संबंधित नवरत्न इन्क्यूबेटर अथवा डीपटेक हब द्वारा प्रस्ताव का तकनीकी, व्यावसायिक एवं निवेशीय दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण (Due Diligence) किया जाएगा। पात्र पाए गए प्रस्तावों को संबंधित मेजबान संस्थान (Host Institution) के निदेशक द्वारा औपचारिक रूप से संस्तुत किया जाएगा तथा CEO, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन/नोडल एजेंसी को प्रेषित किया जाएगा। संस्तुत प्रस्तावों को तत्पश्चात विस्तृत मूल्यांकन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) को अग्रसारित किया जाएगा।
- नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU), संबंधित क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण-दर-प्रकरण (Case-to-Case Basis) एक विशेषज्ञ डीप-टेक मूल्यांकन समिति (Expert Deep Tech Evaluation Committee) का गठन करेगी। समिति में न्यूनतम रूप से- शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों से दो (02) विषय विशेषज्ञ (Subject Matter Experts) तथा एक (01) उद्योग प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।
- विशेषज्ञ डीपटेक मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी नवीनता, अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमता, बौद्धिक संपदा (IP) सृजन की संभावनाएं, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विस्तारयोग्यता (Scalability), पूंजीगत आवश्यकता, निवेश आकर्षण क्षमता तथा संभावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।
- विशेषज्ञ डीपटेक मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) की संस्तुति के उपरांत विचारार्थ सशक्त समिति (Empowered Committee-EC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रकरणों को अंतिम स्वीकृति हेतु माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मंत्रिपरिषद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार (04) डीपटेक स्टार्टअप्स को पेशेंस कैपिटल (Patience Capital) सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक पात्र स्टार्टअप को अधिकतम ₹40 करोड़ तक की सहायता अनुमन्य होगी। तथापि, किसी भी वित्तीय वर्ष में इस मद के अंतर्गत कुल स्वीकृत सहायता रू0100.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी। स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहायता राशि का निर्धारण स्टार्टअप की प्रौद्योगिकी, विकास चरण, पूंजीगत आवश्यकता, बाजार क्षमता तथा विशेषज्ञ डीपटेक मूल्यांकन समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा।

- माननीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृत धनराशि नवरत्न इन्क्यूबेटर तथा डीपटेक बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। नवरत्न इन्क्यूबेटर अनुमोदित निवेश संरचना एवं निर्धारित शर्तों के अनुरूप चयनित स्टार्टअप को धनराशि का संवितरण करेगा तथा धनराशि के उपयोग, परियोजना की प्रगति एवं निर्धारित माइलस्टोन की उपलब्धि की निगरानी करेगा।
- पेशेंस कैपिटल पर प्रतिफल का निर्धारण राज्य सरकार एवं लाभार्थी स्टार्टअप के मध्य निष्पादित अनुबंध (Agreement) के अनुसार किया जाएगा। पेशेंस कैपिटल के अंतर्गत प्रतिफल (Return) एवं निर्गमन (Exit) संबंधी शर्तें विशेषज्ञ डीपटेक मूल्यांकन समिति, संबंधित नवरत्न इन्क्यूबेटर के मेजबान संस्थान के निदेशक तथा लाभार्थी स्टार्टअप के परामर्श से प्रकरण-दर-प्रकरण निर्धारित की जाएंगी। प्रतिफल व्यवस्था Revenue Share, IP Commercialization Share, Revenue-Linked Return, Equity Instruments, Convertible Instruments, Long-Term Convertible Equity अथवा इनके किसी संयोजन के माध्यम से संरचित की जा सकेगी। निर्गमन (Exit) तंत्र, प्रतिफल की सीमा, अवधि, भुगतान तंत्र तथा अन्य वित्तीय एवं संविदात्मक शर्तें स्टार्टअप की प्रौद्योगिकी, विकास चरण, जोखिम प्रोफ़ाइल, व्यावसायिक क्षमता एवं निवेश आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण-दर-प्रकरण निर्धारित की जाएंगी।
- पेशेंस कैपिटल से समर्थित स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश को अपने प्रमुख संचालन केंद्र (Home State) के रूप में विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध होंगे। ऐसे स्टार्टअप्स यथासंभव अपनी विनिर्माण गतिविधियां, स्केल-अप संचालन, रोजगार सृजन तथा भविष्य की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को उत्तर प्रदेश के भीतर स्थापित एवं संचालित करेंगे, जिससे राज्य को दीर्घकालिक आर्थिक एवं रणनीतिक लाभ प्राप्त हो सके।
- नवरत्न इन्क्यूबेटर लाभार्थी स्टार्टअप्स की प्रगति, निधि उपयोग, माइलस्टोन उपलब्धियों एवं व्यवसायीकरण गतिविधियों की नियमित निगरानी करेगा तथा समय-समय पर नोडल संस्था एवं नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- मूल्यांकन एवं निगरानी प्रक्रिया के दौरान नोडल संस्था, PIU, सशक्त समिति अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त अभिलेख, सूचना, वित्तीय विवरण अथवा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, जिसे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5- रॉयल्टी आधारित अनुसंधान एवं विकास (R&D) समतुल्य अनुदान (Royalty-Based R&D Matching

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Grant)

उन्नत अनुसंधान एवं विकास (Research & Development) गतिविधियों में संलग्न नवाचार-आधारित डीपटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पात्र डीपटेक स्टार्टअप्स को रॉयल्टी आधारित अनुसंधान एवं विकास (R&D) समतुल्य अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत, राज्य सरकार स्टार्टअप द्वारा किए गए सत्यापित अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय के अधिकतम 40 प्रतिशत, किन्तु प्रति स्टार्टअप प्रस्ताव अधिकतम रू0 2.00 करोड़ तक समतुल्य अनुदान गैर-डाइल्यूटिव (Non-Dilutive) वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। यह अनुदान स्टार्टअप द्वारा रू0 1.00 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने के उपरांत, अर्जित राजस्व का 3 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को वापस किया जाएगा। तथापि, उत्पाद/प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण में विफल रहने की स्थिति में उक्त अनुदान की वापसी अपेक्षित नहीं होगी:-

- इस सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप का उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (UPSM) पोर्टल पर पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा तथा उसे DPIIT के अंतर्गत डीपटेक स्टार्टअप (Deep-Tech Startup) के रूप में पात्र होना चाहिए।
- पात्र डीपटेक स्टार्टअप निर्धारित प्रारूप में Startup Portal के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में परियोजना का विस्तृत विवरण, प्रौद्योगिकी की प्रकृति, अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों का विवरण, विकास रोडमैप, वित्तीय आवश्यकता, प्रस्तावित माइलस्टोन तथा अपेक्षित परिणामों का उल्लेख अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन को संबंधित मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर द्वारा CEO, Uttar Pradesh Startup Mission/नोडल एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन को प्रारम्भिक तकनीकी परीक्षण एवं समीक्षा हेतु किसी मान्यता प्राप्त Centre of Excellence (CoE), Deep-Tech Hub, Innovation Hub अथवा Startup Review Committee of Experts (SRCE) को भेजा जाएगा।
- Centre of Excellence (CoE), Deep-Tech Hub, Innovation Hub अथवा SRCE द्वारा अनुशंसित डीपटेक स्टार्टअप प्रस्तावों को विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन एवं विचारार्थ डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- डीपटेक समिति द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी नवीनता, अनुसंधान एवं विकास (R&D) घटक, बौद्धिक संपदा (IP) क्षमता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विस्तारयोग्यता (Scalability), राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की आवश्यकता का परीक्षण किया जाएगा।
- डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) द्वारा "असंस्तुत (Not Recommended)" श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे। ऐसे आवेदन उसी प्रस्ताव अथवा विचार के आधार पर पुनः प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। तथापि, 3 माह की शीतावधि (Cooling-off Period) पूर्ण होने के उपरांत स्टार्टअप किसी नवीन प्रस्ताव के आधार पर पुनः आवेदन कर सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- डीपटेक समिति द्वारा "संशोधन हेतु प्रत्यावर्तित (Sent Back for Modifications)" आवेदन आवश्यक संशोधनों एवं अतिरिक्त अभिलेखों सहित 3 माह के भीतर पुनः प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनका पुनर्मूल्यांकन डीपटेक समिति द्वारा किया जाएगा।
- यदि किसी आवेदन को डीपटेक समिति द्वारा दूसरी बार भी अनुशंसित नहीं किया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वतः अस्वीकृत माना जाएगा तथा उसे नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- डीपटेक समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नोडल संस्था, SRCE, डीपटेक समिति अथवा PIU द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अभिलेख, सूचना, स्पष्टीकरण अथवा सहायक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जिन्हें स्टार्टअप द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना होगा।
- PIU से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृत अनुदान राशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- अनुदान का संवितरण सामान्यतः दो किश्तों (Tranches) में, निर्धारित माइलस्टोन आधारित (Milestone-Based) व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
- प्रथम किश्त अनुमोदन के उपरांत जारी की जाएगी तथा द्वितीय किश्त निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति, प्रगति आख्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं संबंधित समिति/प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक मूल्यांकन के उपरांत निर्गत की जाएगी।
- स्वीकृत प्रौद्योगिकी/उत्पाद के सफल व्यवसायीकरण तथा स्टार्टअप द्वारा रू0 1.00 करोड़ अथवा उससे अधिक का वार्षिक राजस्व अर्जित किए जाने पर, स्टार्टअप राज्य सरकार को अपने वार्षिक राजस्व का 3 प्रतिशत रॉयल्टी भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- रॉयल्टी देयता के निर्धारण हेतु स्टार्टअप द्वारा नोडल संस्था को अपने लेखापरीक्षित (Audited) वित्तीय विवरण तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित राजस्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत नोडल संस्था द्वारा देय रॉयल्टी राशि का निर्धारण किया जाएगा तथा भुगतान हेतु स्टार्टअप को सूचित किया जाएगा। स्टार्टअप निर्धारित समयावधि में निर्दिष्ट माध्यम से रॉयल्टी का भुगतान करेगा तथा अनुपालन एवं सत्यापन हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करता रहेगा। रॉयल्टी भुगतान की प्रक्रिया, समयसीमा, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं तथा अन्य शर्तें नोडल संस्था एवं/अथवा नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- विलंब अथवा भुगतान न किए जाने की स्थिति में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वसूली की कार्रवाई की जा सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- स्टार्टअप्स को कम्प्यूट पावर हेतु प्रोत्साहन (Compute Power Incentive)

डीपटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, पात्र स्टार्टअप्स को डेटा सेंटर और/या क्लाउड सेवाओं पर किए गए वास्तविक खर्च के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 2 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सकती है। इस लाभ का दावा करने के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यय 50,000 रुपये होना आवश्यक है। 50,000 रुपये से अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति 50% होगी, जो प्रति वर्ष 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है:-

- इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप का उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (UPSM) पोर्टल पर पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा तथा उसे DPIIT के अंतर्गत डीपटेक स्टार्टअप (Deep-Tech Startup) के रूप में पात्र होना चाहिए।
- स्टार्टअप द्वारा दावा की गई डेटा सेंटर एवं/अथवा क्लाउड सेवाओं का उपयोग उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान, नवाचार, परीक्षण, परिनियोजन (Deployment) अथवा व्यवसायिक संचालन हेतु किया गया होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप द्वारा उक्त सेवाओं पर न्यूनतम ₹50,000 का वार्षिक पात्र व्यय किया जाना आवश्यक होगा।
- पात्र डीपटेक स्टार्टअप निर्धारित प्रारूप में Startup Portal के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन में परियोजना का विस्तृत विवरण, प्रौद्योगिकी की प्रकृति, अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों का विवरण, विकास रोडमैप, वित्तीय आवश्यकता, प्रस्तावित माइलस्टोन तथा अपेक्षित परिणामों का उल्लेख अनिवार्य होगा।स्टार्टअप को आवेदन के साथ क्लाउड सेवा प्रदाताओं/डेटा सेंटर सेवा प्रदाताओं के चालान (Invoices), संबंधित बैंक स्टेटमेंट (Bank Statements), CA द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- प्राप्त आवेदन को संबंधित मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर द्वारा CEO, Uttar Pradesh Startup Mission/नोडल एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन को प्रारम्भिक तकनीकी परीक्षण एवं समीक्षा हेतु किसी मान्यता प्राप्त Centre of Excellence (CoE), Deep-Tech Hub, Innovation Hub अथवा Startup Review Committee of Experts (SRCE) को भेजा जाएगा।
- Centre of Excellence (CoE), Deep-Tech Hub, Innovation Hub अथवा SRCE द्वारा अनुशंसित आवेदन एवं उनसे संबंधित चालान (Invoices), भुगतान के प्रमाण तथा अन्य सहायक अभिलेखों को विस्तृत परीक्षण एवं सत्यापन हेतु डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- डीपटेक समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन, चालानों (Invoices), भुगतान के प्रमाणों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा तथा यह सत्यापित किया जाएगा कि दावा की गई डेटा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेंटर एवं/अथवा क्लाउड सेवाओं का उपयोग उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विकास (R&D), नवाचार, परीक्षण, परिनियोजन (Deployment) अथवा व्यवसायिक संचालन के लिए किया गया है। समिति द्वारा व्यय की वास्तविकता, पात्रता, भुगतान की पुष्टि तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिपूर्ति की अनुमन्य राशि का निर्धारण किया जाएगा।

- डीपटेक समिति (Deep Tech Committee) द्वारा "असंस्तुत (Not Recommended)" श्रेणी में वर्गीकृत आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे। ऐसे आवेदन उसी प्रस्ताव अथवा विचार के आधार पर पुनः प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। तथापि, 3 माह की शीतावधि (Cooling-off Period) पूर्ण होने के उपरांत स्टार्टअप किसी नवीन प्रस्ताव के आधार पर पुनः आवेदन कर सकेगा।
- डीपटेक समिति द्वारा "संशोधन हेतु प्रत्यावर्तित (Sent Back for Modifications)" आवेदन आवश्यक संशोधनों एवं अतिरिक्त अभिलेखों सहित 3 माह के भीतर पुनः प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनका पुनर्मूल्यांकन डीपटेक समिति द्वारा किया जाएगा।
- यदि किसी आवेदन को डीपटेक समिति द्वारा दूसरी बार भी अनुशंसित नहीं किया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वतः अस्वीकृत माना जाएगा तथा उसे नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- डीपटेक समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- PIU से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत अनुमन्य प्रतिपूर्ति राशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी
- मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नोडल संस्था, SRCE, डीपटेक समिति अथवा PIU द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अभिलेख, सूचना, स्पष्टीकरण अथवा सहायक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जिन्हें स्टार्टअप द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना होगा।

7- अन्य नियम एवं शर्तें (Other Terms and Conditions)

- **सहायता (Support)**

आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न, स्पष्टीकरण अथवा शिकायत को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन

(UPSM)पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत (Grievance) अनुभाग के माध्यम से आवश्यक विवरणों सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। नोडल संस्था द्वारा प्राप्त प्रश्नों/शिकायतों का परीक्षण कर उनका उत्तर अ थवा निस्तारण सामान्यतः 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- **लाभार्थी स्टार्टअप के दायित्व**

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए लाभार्थी स्टार्टअप द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन(UPSM) पोर्टल के माध्यम से अभिलेखों एवं सुझंगत सूचनाओं को नोडल संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

- **न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

- **प्रोत्साहन/अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

स्टार्टअप इकाई द्वारा प्राप्त लाभों के उपरान्त यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि लाभार्थी स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत सूचना, अभिलेख अथवा दावा असत्य, भ्रामक या तथ्य-विरुद्ध है, अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत जानकारी के आधार पर प्रोत्साहन/अनुदान प्राप्त किया गया है, तो वितरित की गई समस्त धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तत्काल देय होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित स्टार्टअप के विरुद्ध प्रचलित नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

8- टिप्पणी:

i. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन एवं संचालन प्रारम्भ होने तक "नोडल संस्था" से अभिप्राय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) होगा।

ii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियमित नियुक्ति होने तक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) के प्रबंध निदेशक (MD, UPLC) इस परिचालन दिशानिर्देश के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

iii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल के क्रियाशील होने तक,"उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (UPSM) पोर्टल" से अभिप्राय Startup पोर्टल होगा।

iv. इस परिचालन दिशानिर्देश की किसी भी व्याख्या, स्पष्टीकरण, शंका अथवा विवाद की स्थिति में निर्णय लेने तथा आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने का अधिकार नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के पास निहित होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4 प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
7 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
8 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।